निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श0)
(सं0 पटना 824) पटना, शुक्रवार, 7 अक्तूबर 2016

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना
27 सितम्बर 2016

सं० एसीस–01 / नि0–29 / 2014–798—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल श्रम संसाधन विभाग के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए०एन०एम०) संवर्ग की भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** ।– (1) यह नियमावली "बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2016" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ** । –जब तक कि विषय अथवा संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

(i) **"सरकार"** से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ii) **"विभाग"** से अभिप्रेत है श्रम संसाधन विभाग;

(iii) **"नियुक्ति प्राधिकार"** से अभिप्रेत है निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना बिहार;

(iv) **"ए0एन0एम0"** से अभिप्रेत है ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ;

(v) **"आयोग"** से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(vi) **"संवर्ग"** से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए0एन0एम0) संवर्ग;

(vii) **"मान्यता प्राप्त संस्थान"** से अभिप्रेत है भारतीय नर्सिंग परिषद से ए0एन0एम0 कोर्स के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान;

(viii) **"परिशिष्ट"** से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट;

(ix) **"संवर्ग नियंत्री प्राधिकार"** से अभिप्रेत है, निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना बिहार।

3. **संवर्ग का गठन** ।– बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए0एन0एम0) का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के पदों की कुल संख्या उतनी ही होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जाय।

4. **संवर्ग का पदसोपान** ।– इस संवर्ग की विभिन्न कोटियाँ एवं पदों के सोपान परिशिष्ट–1 के अनुसार होंगे। संवर्ग के पदों पर इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

परिशिष्ट–1 में उल्लिखित पदसोपान सरकार के अनुमोदन के पश्चात् हीं प्रभावी होगा। यदि अनुमोदन पर विचार के क्रम में सरकार द्वारा उक्त पदसोपान में कोई संशोधन किया जाता है, तो परिशिष्ट–1 तदनुसार संशोधित समझा जायेगा और ऐसा संशोधित पदसोपान इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

5. **भर्ती** ।– इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि (ए0एन0एम0) के पद पर सीधी भर्ती से आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी।

6. **अर्हताएँ** ।–

(1) **शैक्षणिक योग्यता** ।– मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से समय–समय पर अनुमोदित अपेक्षित अवधि का ए0एन0एम0 प्रशिक्षण कोर्स में अर्हता प्राप्त करना एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करनी होगी। साथ हीं बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित होना आवश्यक होगा।

(2) **आयु**। – सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर, आरक्षण कोटिवार, अवधारित की जाय। संबंधित वर्ष की 1ली अप्रील को आयु के अवधारण के लिए कट ऑफ डेट मानी जायेगी।

7. **भर्ती की प्रकिया** ।–

(1) नियुक्ति प्राधिकार, वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर और रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर, आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को अंततम 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगा :–

(क) ए0एन0एम0 कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए	–	50 अंक
(ख) उच्चतर डिग्री के लिए	–	20 अंक
(ग) बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव (प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 30 अंक)	–	30 अंक
कुल	–	100 अंक

टिप्पणी – ए0एन0एम0 कोर्स में प्राप्त अंकों के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.5 के गुणक से गुणा कर करना होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 % x 0.5 = 25 अंक दिये जायेंगे।

(3) आयोग आरक्षण कोटिवार विज्ञापित रिक्तियों तथा उपर्युक्त उप–नियम (2) के अनुसार तैयार मेधा सूची के आधार पर अपनी अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजेगा जिसके आधार पर नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

8. **परिवीक्षा अवधि** ।– नियुक्ति के उपरांत परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में यदि नियुक्ति प्राधिकार की राय में सुधार की गूंजाईश हो तो, परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय, तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए0एन0एम0) की सेवा समाप्त कर सकेगा।

9. **विभागीय परीक्षा** ।– महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए0एन0एम0) को विभाग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उतीर्ण होना आवश्यक होगा। विभागीय परीक्षा के विषय और पाठ्यक्रम विभाग द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।

10. **सम्पुष्टि** ।– परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक रूप से पूरा करने और विभागीय परीक्षा में उतीर्ण होने पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए0एन0एम0) की सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।

11. **वरीयता** ।– महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए0एन0एम0) की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अंतिम रूप से तैयार मेधासूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

12. **प्रोन्नति के सोपान** ।–

(1) परिशिष्ट–1 में यथा उल्लिखित प्रोन्नति वाले पद पर किसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ए0एन0एम0) को प्रोन्नति देने पर विचार किया जायेगा जब उसकी सेवा सम्पुष्ट हो और जब वह पद की उपलब्धता के अध्यधीन वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर प्रोन्नति के दायरे में आए।

(2) प्रोन्नति पर विचार करते समय, समान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर प्रोन्नति और चारित्री या कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी0ए0आर0)/आरोप/विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही/न्यूनतम कालावधि आदि संबंधी निर्गत अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

13. **विभागीय प्रोन्नति समिति**। –

(1) प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर होंगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

14. **आरक्षण**।– सरकार के आरक्षण नियमों के उपबंधों और सरकार द्वारा समय–समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

15. **वर्दी (यूनिफार्म)**।– महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए कर्तव्य के दौरान विभाग द्वारा निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य होगा।

16. इस नियमावली में जिन विषयों का उपबंध नहीं किया गया है, उनके लिए सरकार की सुसंगत संहिता / नियमावली / संकल्प / अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

17. **शंकाओं का निराकरण**।– यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो तो इसे विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय विधि विभाग के परामर्श के पश्चात अन्तिम होगा।

18. **कठिनाईयों का निराकरण**।– यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग ऐसी कठिनाई का निराकरण सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कर सकेगा।

19. **निरसन एवं व्यावृत्ति** ।–

(1) इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में समय–समय पर निर्गत नियमावली और सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त नियमावली, संकल्प, अनुदेश आदेश आदि के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

परिशिष्ट–1

[नियम 2(7), 4, 12, 13 द्रष्टव्य]

बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग का पदसोपान

क्रमांक	कोटि	पदनाम	अभ्युक्ति
1	मूल कोटि	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए0एन0एम0)	
2	प्रोन्नति का प्रथम सोपान	वरीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	
3	प्रोन्नति का द्वितीय सोपान	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर्यवेक्षिका	
4	प्रोन्नति का तृतीय सोपान	वरीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर्यवेक्षिका	

नोट : – उपर्युक्त सभी कोटियों का वेतनमान् वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 27th September 2016

No. ESIS-01/NI-29/2014-798— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the recruitment, promotion and service conditions of Women Health Worker (A.N.M.) cadre under the Employees State Insurance Scheme of the Department of Labour Resources :-

1. *Short title extent & commencement.*— (1) These 'Rules' may be called the "Bihar Employees State Insurance Scheme Women Health Worker (Auxiliary Nurse Midwife) (Recruitment, Promotion and Service conditions) Cadre Rules, 2016"

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Definitions.*— *In these Rules, unless otherwise requires in the subject or context,:-*

(i) *'Government'* means the Government of the State of Bihar ;

(ii) *'Department'* means the Labour Resources Department;

(iii) *'Appointing Authority'* means the Director, Medical Services, Employees State Insurance Scheme, Bihar;

(iv) *'A.N.M.'* means Auxiliary Nurse Midwife;

(v) *'Commission'* means the Bihar Staff Selection Commission;

(vi) *'Cadre'* means the Bihar Employees State Insurance Scheme Women Health Worker (A.N.M.) Cadre ; and

(vii) *'Recognized Institution'* means the Institute recognized from Nursing Council of Indian for the course of A.N.M..

(viii) *'Appendix'* means appendix appended to these Rules;

(ix) *'Cadre controlling Authority'* means Director, Medical Services, Employees State Insurance Scheme, Bihar

3. *Constitution of Cadre* .—The Cadre of Bihar Employees State Insurance Scheme Women Health Worker (A.N.M.) shall be State level. In this cadre, number of posts in every grade and total number of posts of the cadre shall be the same as sanctioned by the government from time to time.

4. *Hierarchy of posts of cadre.*—The hierarchy of different category and posts of this cadre shall be in accordance with the Appendix-1. The personals having regular appointment and working on the posts of this cadre prior to coming into force of these Rules, shall be deemed to be automatically included in this cadre.

Annexure-1–The hierarchy mentioned in this Annexure-I shall be effective only after approval of the Government. If during course of consideration any amendment is made in the hierarchy of post if this cadre, then the Annexure-I would be deemed to be amended accordingly, and the amended Annexure-I shall be part of this Rules.

5. *Recruitment.*—The Appointment in this Cadre shall be made by direct recruitment to the basic category (A.N.M.) post, on the basis of recommendation of the Commission.

6. *Qualification..*—

(1) *Educational qualification.*—The essential minimum educational qualification for appointment by direct recruitment to the basic grade post, shall be A.N.M. Training qualifying the course of requisite period and Certificate of thereto, approved time to time, from an Institute recognized by the Nursing Council of India . Candidate shall have to be registered in Bihar Nurshing Council.

(2) *Age.*—The minimum age limit for direct recruitment shall be 21 years and maximum age limit shall be the same as may be determined by the government from time to time with reservation category wise. The cut off date for determination of age shall be deemed to be 1st August of the concerned year.

7. *Procedure of recruitment.*—

(1) The appointing authority, after calculating the vacancy on the basis of position as on 1st April of the year and getting roster cleared, shall send a requisition reservation category wise to the Commission latest by 30th April. Also, it shall be necessary for being registered in the Bihar Nursing Registration Council .

(2) In the light of requisition, the Commission shall invite applications after advertising the vacancies and shall prepare merit list on the basis of following :-

(i) For marks obtained in the examination of A.N.M. course	- 50 Marks
(ii) For higher degree in nursing	- 20 Marks
(iii) For work experience in government hospitals of the State of Bihar (5 marks for each year, maximum 30 marks)	- 30 Marks
Total	**100 Marks**

Note – The marks to be given to a candidate for marks obtained in A.N.M. course Examination shall be determined by multiplying the percentage of total marks obtained in the examination of the said course by multiple of 0.5. For example, if a candidate has obtained 50 % marks he will be given 50% x 0.5=25 marks.